संख्या-29 /251/58-2-2014-300(10)/2014

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 29 मार्च, 2014**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत प्रिपरेटरी एक्टीविटीज हेतु 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान मद में धनराशि रू0-19095/- की व्यय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0-1411-31/प्रिपरेटरी एक्टी/2013-14, दिनांक 24 मार्च, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/243/58-2-2014-300(15)/2013, दिनांक- 20.03.2014 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण योजना के अन्तर्गत प्रिपरेटरी एक्टीविटीज हेतु धनराशि रू0-38,91 हजार (रूपया अडतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर उपलब्ध है।

3. उक्त धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके प्रस्तावानुसार **16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान मद में** व्यय किये जाने हेतु **रू0-19095/-** (रूपया उन्नीस हजार पन्चानबे) मात्र की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

4- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

6- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

7- उक्त धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासनादेश् संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक- 26 अक्टूबर, 2009 में मितव्यिता हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाय।

8- उक्त अवमुक्त धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25-के.+रा.)-**16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।**

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-29/251(1)/58-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद इलाहाबाद।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in